

## प्रेस नोट दिनांक 02.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

### **थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आकाश मिश्रा को करेटी रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास से गिरफ्तार-

पूर्व में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा उक्त दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

#### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी निवासी चरन मिश्र का पुरवा, पोस्ट बिसहिया, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री की शादी फरवरी 2025 में आकाश मिश्रा निवासी मलाका तारा जमेठी, थाना कुण्डा से हुई थी। वादी के अनुसार शादी के बाद से पति आकाश मिश्रा, सास मंजू मिश्रा एवं ससुर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा उर्फ अंशु मिश्रा द्वारा दहेज की मांग को लेकर पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 30.09.2026 को पुत्री द्वारा कमरे में फांसी लगाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे तो शव छत के चुल्ले से साड़ी के सहारे लटका मिला। वादी द्वारा उक्त लोगों पर दहेज के लिए पुत्री की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने की आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 377/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 377/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आकाश मिश्रा पुत्र अनिरुद्ध कुमार मिश्रा उर्फ अंशु मिश्रा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम मलाका तारा जमेठी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को करेटी रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. आकाश मिश्रा पुत्र अनिरुद्ध कुमार मिश्रा उर्फ अंशु मिश्रा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम मलाका तारा जमेठी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

#### **पुलिस टीम का विवरण-**

प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह का0 आशुतोष यादव, रि0का0 दिलीप यादव, रि0म0का0 प्रीती कुमारी, म0आ0 बन्दना यादव व चालक का0 अभिमन्यु सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह का0 जितेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-01, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW वारंट सेशन केस संख्या 188/2022 राज्य सरकार बनाम कल्लू सरोज एवं मु0अ0सं0 154/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त कल्लू सरोज पुत्र राम सेवक, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कनांवा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कल्लू सरोज पुत्र राम सेवक, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी कनांवा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह का0 जितेन्द्र यादव, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमित पटेल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह रि0का0 नीरज एवं रि0का0 अविनाश द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64(2) बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमित पटेल पुत्र कमलेश पटेल, उम्र करीब 19

वर्ष, निवासी कोडरी, पोस्ट धरई, थाना सलोन, जनपद रायबरेली को गंगा एक्सप्रेसवे के ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमित पटेल पुत्र कमलेश पटेल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी कोडरी, पोस्ट धरई, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह रि0का0 नीरज एवं रि0का0 अविनाश, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा मंदिर एवं बंद मकान में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, चोरी का माल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार मोहित कुमार दुबे किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर 01 सफेद धातु का मुकुट, 01 पीली धातु का लॉकेट, 02 जोड़ी सफेद धातु की पायल, 01 स्टील की टंकी, 02 स्टील की थाली, 02 पीतल की थाली, 01 पीतल का लोटा, 01 पीतल का कटोरा एवं ₹2,640/- नगद बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम पिपरी खालसा में बंद पड़े मकान से भी अज्ञात चोर द्वारा चांदी की पायल, गैस सिलेंडर, पीतल एवं तांबे के बर्तन, स्टील की टंकी, कुर्सी, साइकिल एवं अन्य सामान चोरी किए जाने के संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 213/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 29/30.09.2026 की रात्रि ग्राम कोठियाही (डिहवा) स्थित प्राचीन शिव मंदिर से अज्ञात चोर द्वारा पत्थर की मूर्ति से 01 चांदी का मुकुट एवं 01 सोने का लॉकेट चोरी कर लिया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 216/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण

तथा थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं पूछताछ का विवरण-

थाना दिलीपपुर के म0उ0नि0 सारिका, उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, उ0नि0 आनन्द राय मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 विकास कुमार, का0 दीपक, रि0का0 रितेश पाण्डेय, रि0का0 अमन कुमार एवं का0 संध्या बिंद द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोठियाही स्थित मंदिर में हुई चोरी की घटना से संबंधित अभियुक्त मोहित कुमार दुबे पुत्र बाल गोबिंद दुबे, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोठियाही, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ अंधेरी बाग पुलिस के पास मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है।

अभियुक्त मोहित कुमार दुबे से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने ग्राम कोठियाही स्थित मंदिर से पीली धातु का लॉकेट एवं सफेद धातु का मुकुट चोरी किया था। अभियुक्त की निशानदेही पर मौके से 01 पीली धातु का लॉकेट, 01 सफेद धातु का मुकुट एवं 02 जोड़ी सफेद धातु की पायल बरामद की गई।

अभियुक्त से ग्राम पिपरी खालसा स्थित बंद मकान में हुई चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त चोरी की घटना में भी वह शामिल था। अभियुक्त ने बताया कि चोरी किए गए कुछ सामान एवं बर्तनों को राह चलते व्यक्तियों को बेच दिया तथा साइकिल एवं गैस सिलेंडर भी बेच दिए हैं, जबकि शेष चोरी का सामान उसने पुलिस के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा है। अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ियों से 01 स्टील की टंकी, 02 पीतल की थाली, 02 स्टील की थाली, 01 पीतल का लोटा एवं 01 पीतल का कटोरा, जिसके निचले हिस्से पर “श्रीमद् भागवत” अंकित है, बरामद किया गया।

अभियुक्त की जामा तलाशी से ₹2,640/- नगद भी बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना दिलीपपुर पर पंजीकृत दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहित कुमार दुबे पुत्र बाल गोबिंद दुबे, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोठियाही, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- 01 अदद सफेद धातु का मुकुट।
- 01 अदद पीली धातु का लॉकेट।
- 02 जोड़ी सफेद धातु की पायल।
- 01 अदद स्टील की टंकी।
- 02 अदद स्टील की थाली।

02 अदद पीतल की थाली।

01 अदद पीतल का लोटा।

01 अदद पीतल का कटोरा।

₹2,640/- नगद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

म0उ0नि0 सारिका, उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, उ0नि0 आनन्द राय, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 विकास कुमार, का0 दीपक, रि0का0 रितेश पाण्डेय, रि0का0 अमन कुमार एवं का0 संध्या बिंद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अनुरुद्ध पाल को पाली नगर पुलिस के पास से गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में अनुरुद्ध पाल पुत्र स्व0 शिवशंकर पाल निवासी ग्राम आशापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ वांछित अभियुक्त था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में उ0नि0/थाना प्रभारी शिशिर पटेल मय हमराह का0 अभिषेक सिंह, रि0का0 आलोक गुप्ता, म0आ0 बीनू जायसवाल, म0आ0 आंचल बिंद व चालक हे0का0 सुरेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अनुरुद्ध पाल पुत्र स्व0 शिवशंकर पाल, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम आशापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को पाली नगर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनुरुद्ध पाल पुत्र स्व0 शिवशंकर पाल, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम आशापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0/थाना प्रभारी शिशिर पटेल मय हमराह का0 अभिषेक सिंह, रि0का0 आलोक गुप्ता, म0आ0 बीनू जायसवाल, म0आ0 आंचल बिंद व चालक हे0का0 सुरेन्द्र सिंह, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना कन्धई पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी एवं एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में 02 अभियुक्तों को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कन्धई के उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश वांछित/सक्रिय अपराधी के दौरान मु0अ0सं0 221/2026 धारा 191(2), 221, 132, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना कन्धई से संबंधित ग्राम रखहा में गाटा संख्या 690 की पैमाइश के दौरान लेखपाल के साथ मारपीट एवं विवाद की स्थिति में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत 02 अभियुक्तों 1. बबलू सिंह पुत्र सूर्यपाल सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष 2. सतीश पाल पुत्र कालाधर पाल, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासीगण ग्राम रखहा, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- बबलू सिंह पुत्र सूर्यपाल सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम रखहा, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
- 2- सतीश पाल पुत्र कालाधर पाल, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम रखहा, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल वर्मा, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल मय हमराह का0 करन गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय अपर मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ कोर्ट संख्या-13 द्वारा जारी वारण्ट, ई-सम्मन पोर्टल से प्राप्त क्रिमिनल केस संख्या 9953/2020, अपराध संख्या 95/2000, धारा 336 आईपीसी, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र महाली उर्फ महावीर प्रसाद, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी ग्राम नूरपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ को छितपालगढ़ बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- दिनेश कुमार पुत्र महाली उर्फ महावीर प्रसाद, उम्र करीब 53 वर्ष, निवासी ग्राम नूरपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल मय हमराह का0 करन गौड़, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना लालगंज पुलिस द्वारा "मारपीट एवं हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा "मारपीट एवं हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित यादव उर्फ अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा बरामद किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 27.09.2026 को वादी के पुत्र को रोहित यादव द्वारा जगन्नाथपुर मोड़ पर बुलाया गया, जहां रोहित यादव अपने साथी व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी-डण्डों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया। आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के संबंध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 राहुल सोलंकी, का0 नितीश यादव व का0 मिथुन गिरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 371/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र राजाराम यादव, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी

ग्राम रायपुर बरेवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को अगई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित यादव उर्फ अखिलेश यादव पुत्र राजाराम यादव, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुर बरेवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 राहुल सोलंकी, का0 नितीश यादव व का0 मिथुन गिरी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।